कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक–218 /FP/UK/ROAD/15186/2015 :देहरादून:दिनांक:20 जुलाई,2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय–सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः–जनपद–पौड़ी गढ़वाल में स्योलीखण्ड काण्डा घण्डियाली करतोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.865 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी/यू0सी0पी0/06/12/2016/430 दिनॉक 03–06–2016.

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.730 हे0 ग्राम घॅडियाली एवं काण्डा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 8,59,026.00 (आठ लाख उनसठ हजार छबीस) मात्र तदर्थ कैम्पा कोष में जमा करायी गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 3.730 हे0 सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किया जा चुका है। म्यूटेशन किये गये भूमि के प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित आवश्यक अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। **(संलग्नक–1)**
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 12,25,305.00 (रू0 बारह लाख पचीस हजार तीन सौ पॉच) मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा करा दी गयी है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–2)**
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु धनराशि रू0 8,59,026.00 (रू0 आठ लाख उनसठ हजार छबीस) सहित उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रू0 29,30,345.00 (उन्तीस लाख तीन हजार तीन सौ पैंतालीस) ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा करा दी गयी है। **(संलग्नक–3)**
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित Central Verge पर Strip Plantation किये जाने की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–4)**
6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पाबौ के पत्रांक 786/2सी0(वनभूमि) दिनांक 07–07–2017 **(संलग्नक–5)** के द्वारा सूचित किया गया है कि रिवाईस्ट के0एम0एल0 फाईल अपलोड कर दिया गया है, जिसमें एम0डी0एफ0 1.00 हे0 सम्मिलित नहीं है। साथ ही प्रस्ताव से प्रभावित हाने वाले वाईल्ड लाईफ की जानकारी भी आनॅलाईन पार्ट–II में प्रभीय वनाधिकारी गढ़वाल पौड़ी द्वारा प्रेषित कर ली गई है।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नः–यथोपरि।</u>

भवदीय,

(विनीत कुमार पांगती)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :–218 /FP/UK/ROAD/15186/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पाबौ, पौड़ी गढ़वाल।

(विनीत कुमार पांगती)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी